(16

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं० :–3/अ0प्र0–1–54/2014 · 822 /पटना, दिनांक :– 21-11-25

श्री उमेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, एन0आर0ई0पी0 प्रखण्ड हसनगंज, कटिहार के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल द्वारा दिनांक 29.11.2007 को छापेमारी कर रू0 10,000 की रिश्वत परिवादी मो0 शाहिद अख्तर से लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने एवं निगरानी थाना कांड सं0 127/2007 दिनांक 30.11.2007 दर्ज किये जाने के मामले में विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1006 दिनांक 26.03.2014 द्वारा श्री सिंह को सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित की गई।

उक्त अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC सं0 12439/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2016 को पारित आदेश में श्री सिंह के बर्खास्तगी आदेश को set aside कर दिया गया एवं इस मामले में नए सिरे से विचार कर उचित आदेश पारित करने का निर्णय दिया गया।

मामले की समीक्षोपरान्त आदेश सं0 631 दिनांक 24.03.2023 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध मुख्य अभियंता–2 के अधीन पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित की गई (पृ0 108/प0)। संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 3513 दिनांक 26.10.2023 के माध्यम से विभाग को समर्पित जॉच प्रतिवेदन में निम्न मंतव्य अंकित किया गया है–

श्री उमेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, एन0आर0ई0पी0 प्रखंड, हसनगंज, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध एन0आर0ई0पी0 प्रखंड, हसनगंज, कटिहार के पदस्थापन काल में परिवादी शाहिद से एम0बी0 बुक करवाने हेतु रू0 10,000/– (दस हजार) मात्र रिश्वत लेने के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0–127/07 दर्ज किया गया है। इस आरोप को आरोपित कनीय अभियंता ने दृढ़ता से अस्वीकार किया है एवं साथ ही अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग को समर्पित स्पष्टीकरण की छायाप्रति को भी संलग्न किया है। इस स्पष्टीकरण के साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश CWJC No. 12439/2014 में पारित आदेश मुख्य अभियंता, उत्तर विहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग के यहॉ संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन इत्यादि को संलग्न किया है। स्पष्टीकरण के साथ संलग्न अभिलेखों से स्पष्ट है कि परिवादी मो0 शाहिद का योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सम्बद्धता नहीं थी। आरोपित कनीय अभियंता का दायित्व केवल मापी की प्रविष्टि किया जाना था। परिवाद पत्र में उल्लेखित है कि दिनांक 06.11.2007 को एम0बी0 करने का अनुरोध परिवादी द्वारा किया गया है। आरोपित पदाधिकारी के स्थानान्तरण होने के उपरांत कार्यपालक अभियंता, NREP कटिहार द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान के अधीन योगदान हेतु विरमित आदेश दिनांक 08.11.2007 को निर्गत किया गया है। अतः इसके बाद आरोपित पदाधिकारी द्वारा परिवाद पत्र में अंकित योजनाओं की मापी को मापी पुस्त में दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। मापी पुस्तिका में अंकित मापी के आधार पर न तो परिवादी को किसी तरह का भुगतान होना था न ही अग्रिम का समायोजन होना था, क्योंकि परिवादी अभिकर्ता थे ही नहीं। आरोपित पदाधिकारी से परिवादी मो0 शाहिद के किसी भी रूप में योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से कोई सम्बद्धता नहीं होने के फलस्वरूप रिश्वत मांगे जाने की प्रासंगिकता परिलक्षित प्रतीत नहीं

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

होता है, परन्तु अपराधिक मामले एवं विभागीय कार्यवाही का साक्ष्य समान (Identical and similar set of facts) होने पर departmental proceeding पर मंतव्य अंकित करना विधिक रूप से उचित नहीं होगा।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर अभियंता प्रमुख से मंतव्य की मांग की गई। अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव द्वारा मामले की मुख्य अभियंता–1 एवं तकनीकी परामर्शी (विधि) से समीक्षा कराई गई। तद्लोक में श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री सिंह को आरोपमुक्त करते हुए उन्हें देय लाभों के भुगतान की स्वीकृति इस शर्त के साथ देने का मंतव्य अंकित किया गया कि उनके विरूद्ध इस मामले में दायर आपराधिक वाद के निर्णय से यह आदेश प्रभावित होगा। उक्त मंतव्य पर अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री उमेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, एन0आर0ई0पी0 प्रखण्ड हसनगंज, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत को प्रश्नगत विभागीय कार्यवाही में आरोपमुक्त करते हुए उन्हें देय लाभों के भुगतान की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि श्री सिंह के विरूद्ध इस मामले में दायर आपराधिक वाद के निर्णय से यह आदेश प्रभावित होगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

Sanjay Kumar
21/11/25
(संजय कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–54/2014 11792 /पटना, दिनांकः– 21.11.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, कटिहार/मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sanjay Kumar
21/11/25
अवर सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ0प्र0–1–54/2014 11792 /पटना/दिनांकः–21.11.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कटिहार/बेनीपुर/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री उमेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, एन0आर0ई0पी0 प्रखंड हसनगंज, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता–ग्राम–पीपारी, थाना–करगहर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sanjay Kumar
21/11/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–54/2014 11792 /पटना/दिनांकः– 21.11.25

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Sanjay Kumar
21/11/25
अवर सचिव